HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्यारोपी भाई व माता को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.04.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा हत्यारोपी भाई व माता को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- **दिनांक 28-09-2023 को अभियुक्तगण 1- सुनील पुत्र जयपाल (भाई) 2- असर्फी पत्नी जयपाल (माता) निवासीगण ग्राम नवादा खुर्द थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा अपनी सगी बहन/पुत्री की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 254/2023 धारा 302, 34, 201 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.12.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।**
- **आज दिनांक 30.04.2025 को दोनों उपरोक्त अभियुक्तों को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 22,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।**
- **अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री सुरेश कुमार एवं पैरोकार का0 राकेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।**